न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 69/2021

नारान पिता नानालाल गूर्जर मृतक के बजाय :–

1. नन्दलाल पिता नारान जी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
2. दल्लीचन्द्र पिता नारान जी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
3. कंकू पिता नारान जी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
4. गंगाबाई पति नारान जी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान पिता रामलाल गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
2. गेपाल पिता रामलाल गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
3. सुरेश पिता रामलाल गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
4. जमनी पति घासी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
5. मांगीलाल पिता घासी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
6. छोटू पिता घासी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
7. कालू पिता घासी गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
8. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार सा. बेंगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक ::– 29.01.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा दुगार पटवार मण्डल दुगार की वर्तमान जमावंदी सम्वत 2072 से 75 की खतौनी संख्या 222 में अंकित आराजी संख्या 386, 411, 469, 1300,1301 कुल कीता–5 रकबा 2.2400 हैक्टर कृर्षि आराजीयात प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदारी से दर्ज है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होकर निरन्तर निर्वाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 4 से 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी मे से कृषि आराजी संख्या 1300, 1301 कुल किता–2 रकबा 0.9900 हैक्टर कृषि आराजी पर पहुचने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ता मौके पर मौजा दुगार के सार्वजनिक रास्ते से लगती हुई आराजी संख्या 1299 मी. के पूर्वी दिशा से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत पर पहुचता था जिसको प्रार्थीगण ने अपने सलग्न नजरी नक्शे में वर्णित किया हैं।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता विगत अर्सा वर्षो से मौके पर उपलब्ध था जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1300, 1301 पर पहुचकर कृषि कार्य करते आ रहे है लेकिन वर्तमान समय में उक्त रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही भूमि आराजी संख्या 1299 मी. के खातेदार का परिवर्तन हो जाने सेउक्त नवीन खातेदारान के मन में बदनियती आ जाने से एवं प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंछित करने की गरज से 1299 मी. की पूर्वी दिशा संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया एवं प्रार्थीगण की भूमि पर पहुचने के एक मात्र रास्ते को बन्द कर दिया गया जिससे प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी भूमि पर कृषि औजार नहीं ले सके जिस कारण प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1300,1301 पडत ही रह गयी है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की मौजा दूगार की राजी संख्या 1300, 1301 पर पहुचने का एक मात्र रास्ता मौजा दूगार की आराजी संख्या 1299 की पूर्वी दिशा पर ही उपलब्ध था एवं वर्तमान में भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुचने का नही है जिससे प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान में पडत रह गयी हैं।

यह कि वाद वर्णित रास्ता अर्सा वर्षो से मौके पर उपलब्ध था जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पहुचकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे थे लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान नवीन खातदेारान ने रास्ते की भूमि को अपनी भूमि आराजी संख्या 1299 मी. में मिला दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पहुचकर उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे प्रार्थीगण का एवं प्रार्थीगण के परिवार का जीवन संकट में आ गया है चूंकि प्रार्थीगण की आजिवीका का मुख्य साधन कृर्षि कार्य नहीं करेगें तो उनका जीवन समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वचित हो जावेगे।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की कृपि आराजीयात पर पहुचने के रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे कायम किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की मौजा दुगार की आराजी संख्या 1300, 1301 पर पहुचने के लिए उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्ीिगण विगत अर्सा काफी वर्षो से उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते से ही अपनी आराजयीात पर आ जा रहे है इसलिए प्रार्थीगण का यह सुस्थापित मार्ग है।

यह कि विपक्षीगण की कृर्षि आराजीयात पर पहुचने के एक मात्र रास्ते की भूमि के खातेदारान है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में 1/2 हक हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 से 7 भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कहने में होने से प्रार्थी नहीं बने जिससे उन्हें विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि विपक्षीगण अपनी आराजयीात पर विद्यमान रास्ते से होकर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि उत्पादन खाद बीज आदि नही निकाल सक रहे है एवं आने जाने के एक मात्र रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीगण को भारी कठिनाई हो रही है विपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी पर पहुचने के एक मात्र रास्ते में आने जाने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए कानूनन विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है जिसके लिए प्राथीगण का यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण को न्यायहित में उक्त रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगें एवं एक कृषक व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जावेगी व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात के समस्त हक अधिकारो से वंचित हो जावेगें। प्रार्थना पत्र वर्णित कृर्षि आराजीयात ग्राम दुगार प.ह. दुगार तहसील बेगूॅ में स्थित होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राज0 टि0 एक्ट स्वीकार फरमा जाकर मौजा दूगार की आराजी संख्या 1300, 1301 पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दुगार की आराजी संख्या 1299 मी के पूर्वी दिशा की तरफ रास्ते का प्रतिकर जमा किया जाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जान का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन न्यायालय में बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण को न्यायालय में तीन बार आवाज लगाये जाने पर भी विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ओर्डर 9 रूल 7 का प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्रार्थना पत्र ठोस सबूत के अभाव में खारिज किया गया है। तदोपरान्त विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा एक और प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅ (चित्तौड़गढ़)

अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को सुनवाई में भाग लिये जाने की स्वीकृति दी जावें, किन्तु न्यायालय द्वारा विपक्षीगण की दो तरफा प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 151 सी.पी.सी को अनुमति दिया जाना न्यायसंगत नहीं समझा है।

इस प्रकार मामला एक तरफा का होने से प्रकरण में रास्ते की रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई वह तहसीलदार बेगूँ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 833 दिनांक 21.11.2024 के साथ संलग्न रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पर्यामीका रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस तथा रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर से जमा की जाने वाली प्रतिकर राशि के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आवश्यक है। इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित किया गया रास्ता न्यूनतम दूरी पर है।

प्रस्तावित किया गया रास्ता आराजी संख्या 1905/1299 मे से चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 35 मीटर यानि 4 गुणा 35 – 0.0140 हैक्टर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित है जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नया मार्ग हेतु डी एल सी दरों के तहत मुआवजे की गणना करा विस्तृत रिपोर्ट पृथक से संलग्न हैं। प्रस्तावित रास्ते के बनाने के अधीन अवधारित भूमि में खांखरे के 2 पेड बडे 4 छोटे खजूर का 1 छोटा छल को 1 छोटा कुल छोटे बडे 8 पेड है।

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 1905/1299 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि गोपाल ,निहाला, भगवानलाल, सुरेश पिता रामा , संतोष पत्नी रामा जाति गुर्जर के नाम दर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ के रहन दर्ज है एवं उक्त विचाराधीन प्रकरण में निहाला पुत्र रामा संतोष पत्नी रामा गुर्जर को पक्षकार बनाया जाना अपेक्षित है।

पत्रावली में तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि की लम्बाई व चौडाई अनुसार डी एल सी दर से भूमि का मूल्य (प्रतिकर) के सम्बन्ध मे जो गणना की गई वह इस प्रकार से है :–

रास्ते हेतु ग्राम दुगार पटवार हल्का दुगार भू.अ.नि. वृत राजगढ की आराजी संख्या 1905/1299 मे से 140 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित है।

भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 761305/– हैक्टर

डी.एल.सी. का दोगुना 761305गुणा 2 यानि 1522610/–

कुल मुआवजा राशि 1522610/10000 गुणा 140 यानि 21320/–

जमावंन्दी अनुसार प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	1905/1299	गोपाल पुत्र रामा जाति गुर्जर	1/5	4264
2–	1905/1299	निहाला पुत्री रामा जाति गुर्जर	1/5	4264
3–	1905/1299	भगवानलाल पुत्र रामा जाति गुर्जर	1/5	4264
4–	1905/1299	संतोष पत्नी रामा जाति गुर्जर	1/5	4264
5–	1905/1299	सुरेश पुत्र रामा जाति गुर्जर	1/5	4264
			योग	21320/–

इस प्रकार विपक्षीगण खातेदारान को उनके खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1905/1299 के रास्ते में आने वाली भूमि का प्रतिकर 21320/– प्रार्थीगण को जमा कराना होगा ।

प्राप्त रिपोर्ट पर एक तरफा वहस अधिवकता प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी वहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस का अवलोकन किया, जिस भूमि के लिए प्रार्थीगण आने जाने हेतु रास्ता चाहते है उसके अतिरिक्त और भूमि जो कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 4 से 7 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है, नियमानुसार भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक कोई भी सहखातेदार किसी भूमि को अपनी भूमि नहीं कह सकता है। लेकिन धारा 53 राज0काश्त0अधि0 में प्रावधान अनुसार जब विभाजन कराया जाता है तो उसमें कब्जे को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

से कम डिस्टर्ब किया जाने का आदेश दिया जाता है, जैसा कि प्रार्थीगण ने अंकन किया है कि कृषि भूमि आराजी संख्या 1300 व 1301 उनके कब्जे काश्त की भूमि होकर बाहमी तौर पर उनके कब्जे काश्त में है किन्तु उस भूमि पर आने जाने का रास्ता कायम नहीं होने से भूमि वर्तमान में कृषि कार्य हेतु काम में नहीं ली जा रही है।

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 1300 व 1301 पर आने जाने के लिए जो रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि ली जा रही है वह प्रार्थीगण के सहखातेदारान की भूमि मे से न होकर अन्य खातेदारान की भूमि से ली जा रही है, जिससे प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारान को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए।

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर पहुँच के लिए रास्ते हेतु वर्णित आराजी संख्या 1905/1299 के अलावा और कोई न्यूनतम मार्ग नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित एवं न्यायसंगत समझते है। प्रार्थना के पक्षकारान में निहाला पुत्री रामा गुर्जर व संतोष पत्नी रामा गुर्जर को भी मुआवजे की राशि दी जानी है इसलिए इन्हें विपक्षी बनाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा दुगार प0ह0 दुगार की कृषि आराजी संख्या 1300 रकबा 0.0200,आराजी संख्या 1301 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल कीता– 2 कुल रकबा 0.9900 हक्टर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली विपक्षीगण की कृषि आराजीयात मौजा दुगार की आराजी संख्या 1905/1299 मे से 4 मीटर चौडा व 35 मीटर लम्बा यानि 4 गुणा 35 यानि 140 वर्गमीटर यानि 0.0140 हेक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की प्रचलित दर अनुसार प्रतिकर राशि कुल राशि 21320/– विपक्षीगण को चुकाने हेतु तहसीलदार बेगूँ के कार्यालय में जमा कराने पर उक्त विपक्षीगण की कृषि भूमि मौजा दुगार की आराजी संख्या 1905/1200 मे से 0.0140 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ते हेतु उपयोग में लिये जाने के लिए राजस्व रिकोर्ड में व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा जमा कराने वाली कुल राशि 21320/–रूपये को विपक्षीगण को दिये जाने हेतु उपरोक्त आदेश में दर्शाये अनुसार भुगतान किये जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। व आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 56 दिनांक :– 31.1.25

प्रार्थना पत्र संख्या 69/2021 व अनवान नाराण बनाम भगवान वगै प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हुए आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ